

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी: झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या:- 131/2025

उनवान

1. श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री बालु जाट जाति जाट नि० सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज०)
2. शंकर लाल पुत्र श्री बालु जाट जाति जाट नि० सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज०)
3. सायरी देवी पत्नी श्री जगदीश जाति जाट नि० सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज०)
4. सीमा देवी जाट पत्नी श्री राकेश कुमार जाट नि० सियार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज०)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पुत्र श्री उदा जाट नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नारायण पुत्र श्री उदा नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. कैलाश पुत्र उदा जाट नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. भंवर पुत्र श्री उदा जाट नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. पूरण पुत्र श्री मेघा जाट नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. प्रेम देवी पत्नी श्री देवबक्ष जाट नि० सियार तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 05.03.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.09.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सियार पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज. में खाता संख्या 203 खसरा संख्या 745/484 रकाब 0.4781 है०, खसरा संख्या 747/556 रकबा 0.2490 है०, कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.7271 है० हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2026 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सियार पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज. में खाता संख्या 203 खसरा संख्या 745/484 रकाब 0.4781 है०, खसरा संख्या 747/556 रकबा 0.2490 है०, कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.7271 है० हेक्टेयर जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(झंवर लाल)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा